

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व सेहणुंडा

भू अभिलेख निरीक्षक चिताम्बा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार-करेड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हीरा का बाग पटवार हल्का सेहणुंडा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 में खाता संख्या 69 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
	<u>हीरा का बाग</u>	<u>69</u>	<u>खुबीर सिंह पिता मदन सिंह</u>	<u>खुबीर सिंह उर्फ खणुनाथ सिंह पिता मदन सिंह</u>

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक क्लर्क करेड़ा

दिनांक:- 08/06/2022

क्रमांक/न्यायालय /2022/ 84

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री खुबीर सिंह उर्फ खणुनाथ सिंह पिता मदन सिंह

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक क्लर्क करेड़ा  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2022/380